झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना सं0-640(1) दिनांक-25.10.2002 द्वारा बिहार और उड़ीसा परिचर्या अधिनियम, 1935 को झारखण्ड राज्य के लिए आवश्यक संशोधनों के साथ दिनांक 15.11.2000 के भूतलक्षी प्रभाव से अंगीकृत किया गया है। उक्त अधिनियम के धारा-17 में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

भारतीय उपचर्या परिषद् के पत्रांक-28-02/2019-INC दिनांक-1912.2020 द्वारा सभी नर्सिंग संस्थानों को मान्यता देने हेतु संबंधित राज्यों के परिचारिका परिषद्/राज्य सरकार को प्राधिकृत किया गया है।

उक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यान्तर्गत सरकारी एवं गैर-सरकारी नर्सिंग संस्थानों के प्रबंधन एवं नर्सिंग पाठ्यक्रम में नामांकन प्रक्रिया, सीटों का वर्गीकरण, शुल्क निर्धारित एवं परीक्षा संचालन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

अध्याय-1: प्रारंभ

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ-

   (1) यह नियमावली "झारखण्ड राज्यान्तर्गत नर्सिंग संस्थानों के प्रबंधन, नामांकन एवं परीक्षा संचालन नियमावली, 2023" कहलाएगी।

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

   (3) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं- इस नियमावली में जबतक संदर्भ में अन्यथा प्रतीत न हो,

   (i) 'पर्षद' से अभिप्रेत है झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद;

   (ii) 'परिषद्' से अभिप्रेत है झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद्'

   (iii) 'विभाग' से अभिप्रेत है स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग'

   (iv) 'विभागीय सचिव' से अभिप्रेत है विभाग क अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव;

   (v) 'निदेशक, नर्सिंग' से अभिप्रेत है विभाग के द्वारा नर्सिंग सेवाओं के संचालन, प्रबंधन हेतु विभाग के द्वारा अधिसूचित निदेशक;

103(10)
28/04/2023

(vi) 'संस्थान' से अभिप्रेत है विभाग द्वारा नर्सिंग सेवाओं के संचालन-प्रबंधन हेतु भारतीय उपचर्या परिषद् (Indian Nursing Council)/झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद् द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के आधार पर संचालित सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थान;

(vii) 'प्रबंधन सीट (Management Seat)' से अभिप्रेत है किसी लोक निजी भागीदारी के आधार पर संचालित संस्थान अथवा गैर-सरकारी संस्थान के प्रबंधन के द्वारा झारखण्ड प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् द्वारा आयोजित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर तैयार उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से संबंद्ध संस्थान के प्रबंधन द्वारा चयनित अभ्यार्थियों को आवंट्ति सीट;

(viii) 'मुक्त सीट' से अभिप्रेत है झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् द्वारा आयोजित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुसार आवंट्ति सीट;

(ix) 'लोक निजी भागदारी के आधार पर संचालित संस्थान' से अभिप्रेत है स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा किसी गैर-सरकारी संस्थान के साथ किये गए विधिवत एकरारनामा के आधार पर संचालित संस्थान;

(x) राज्य सरकार से अभिप्रेत है 'झारखण्ड सरकार';

(xi) 'पाठ्यक्रम से अभिप्रेत है 'भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा नर्सिंग क्षेत्र के लिए निर्धारित डिप्लोमा एवं डिग्री पाठ्यक्रम'

अध्याय-2ः संस्थान की स्थापना

3. संस्थान प्रारंभ, निलंबित एवं प्रदत्त अनुमति रद्द करने की प्रक्रिया-

(1) राज्य में नर्सिंग विद्यालय एवं नर्सिंग महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में विभागीय संकल्प सं0-27(12) दिनांक 05.06.2006 द्वारा नीति निर्धारण किया गया है।

(2) कालांतर में विभागीय संकल्प सं0-259(7ए) दिनांक 15.07.2008, 185(10) दिनांक 25.06.2018 एवं 58(10) दिनांक 06.02.2019 तथा आदेश ज्ञापांक 73(10) दिनांक 13.3.2019 द्वारा आवश्यक संशोधन भी किया गया है।

(3) नये संस्थानों की स्थापना हेतु भारतीय उपचर्या परिषद् (Indian Nursing Council) द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाने वाले मापदण्ड के आधार पर आवश्यक आधारभूत संरचनाओं, भवन, छात्रावास, शिक्षण संकाय, मानव संसाधन, अस्पताल आदि के संबंध में विहित प्रपत्र का निर्धारण राज्य सरकार की अनुमति से किया जायेगा। तदनुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत नये संस्थान प्रारंभ करने की अनुमति दी जायेगी।

103(10)
28/04/2023

(4) किसी गैर-सरकारी संस्थान के द्वारा भारतीय उपचर्या परषिद् (Indian Nursing Council) के स्तर से निर्गत मापदण्ड, विभाग के द्वारा समय-समय पर दिये गए निर्देश एवं इस नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग के द्वारा प्रदान की गयी अनापत्ति को ऐसे नर्सिंग संस्थान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए निरस्त किया जा सकेगा।

अध्याय-3ः संस्थानों में नामांकन

4. सीटों का वर्गीकरण-

(1) सरकारी संस्थानों में छात्र-छात्राओं के नामांकन हेतु सीटों का कोई वर्गीकरण नहीं होगा। सभी सीट झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से नियमानुसार अनुशंसा के आधार पर पूर्व की भांति भरी जायेंगी।

(2) गैर-सरकारी संस्थानों में नामांकन हेतु सीटों का विभाजन 50 प्रतिशत मुक्त सीट (Open Seat) एवं 50 प्रतिशत प्रबंधन सीट (Management Seat) में होगा।

5. नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया-

(1) राज्यांतर्गत सरकारी संस्थानों में छात्र-छात्राओं के नामांकन हेतु झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् द्वारा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार की प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है।

(2) राज्य के लोक निजी भागादारी के आधार पर संचालित नर्सिंग संस्थनों तथा गैर-सरकारी संस्थानों में भी सभी सीटों पर नामांकन हेतु छात्र-छात्राओं को झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् द्वारा आयोजित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा।

(3) लोक निजी भागीदारी के आधार पर संचालित नर्सिंग संस्थानों तथा गैर-सरकारी संस्थानों के 50 प्रतिशत मुक्त सीट (Open Seat) में नामांकन हेतु सरकारी संस्थानों में नामांकन के लिए निर्धारित विहित प्रक्रिया के अनुरुप ही कार्रवाई की जायेगी।

शेष 50 प्रतिशत प्रबंधन सीट (Management Seat) में नामांकन हेतु झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

103(10)
28/04/2023

(4) झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् द्वारा आयोजित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अर्हत्तांक निम्नलिखित होंगे, जिन्हें समय-समय पर राज्य सरकार के द्वारा संशोधित किया जा सकेगाः-

सामान्य वर्ग	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग (एनेक्चर-2)	36.5 प्रतिशत
अत्यंत पिछड़ा वर्ग (एनेक्चर-1)	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत
आदिम जनजाति	30 प्रतिशत
आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (EWS)	40 प्रतिशत

(5) लोक निजी भागीदारी के आधार पर संचालित संस्थानों तथा गैर-सरकारी संस्थानों में 50 प्रतिशत मुक्त सीटों पर नामांकन झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् द्वारा आयोजित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुसार होगा।

नामांकन के पश्चात् लोक निजी भागीदारी के आधार पर संचालित संस्थान तथा गैर-सरकारी संस्थान चयनित छात्र-छात्राओं की सूची झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद् को सत्र का प्रथम वर्ष शुरु होने के एक माह के भीतर समर्पित करेंगे।

(6) 50 प्रतिशत मुक्त सीट (Open Seats) में से झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् के द्वारा संचालित काउंसिलिग की अंमि तिथि के उपरांत 15 दिनों के पश्चात् कतिपय सीट रिक्त हर जाने की स्थिति में अवशेष सीटों पर संबंधित लोक निजी भागीदारी के आधार पर संचालित संस्थान तथा गैर-सरकारी संस्थान पर्षद् द्वारा तैयार मेधासूची के अंतर्गत नामांकन हेतु स्वतंत्र होगें एवं ऐसे छात्र-छात्राओं की सूची झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद् को समर्पित करेंगे।

(7) लोक निजी भागीदारी के आधार पर संचालित संस्थानों तथा गैर-सरकारी संस्थानों के द्वारा प्रबंधन सीट्ट (Management Seat) के विरुद्ध किये गये नामांकन से संबंधित समस्त छात्र-छात्राओं की सूची झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद् को सत्र प्रारंभ करने के एक माह के भीतर समर्पित की जायेगी।

(8) प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीटों का वर्गीकरण नियमावली की कंडिका-3 के अनुसार होगा।

103(10)
28/04/2023

6. आरक्षण–

(1) राज्य सरकार के अधीन संचालित होने वाले संस्थानों में पूर्व से चले आ रहे आरक्षण व्यवस्था लागू रहेगी एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा किये गये संशोधन स्वतः प्रभावी होंगे।

(2) लोक निजी भागीदारी के आधार पर संचालित संस्थानों तथा गैर–सरकारी संस्थानों के 50 प्रतिशत मुक्त सीट (Open Seat) के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण के नियम लागू होंगे।

7. नामांकन की अर्हता–

(1) राज्यान्तर्गत सरकारी, लोक निजी भागीदारी के आधार पर संचालित संस्थानों तथा गैर–सरकारी संस्थानों के सभी पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए भारतीय उपचर्या परिषद् (Indian Nursing Council), नई दिल्ली एवं झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद् (Jharkhand Nurses Registration Council), राँची द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता एवं अर्हता लागू होंगे तथा समय–समय पर इसमें किये जाने वाले संशोधन स्वतः प्रभावी होंगे।

अध्याय–4: संस्थानों का प्रबंधन

8. राज्यांतर्गत सभी सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थानों में नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगाः–

(1) सभी संस्थानों के द्वारा सी.सी.टी.वी. का अधिष्ठापन एवं उनके सदैव कार्यरत रहना अनिवार्य रुप से सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त सी.सी.टी.वी. की न्यूनतम तीन माह की अवधि का रिकार्डिंग अभिलेख के रुप में सभी संस्थानों द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा। समय–समय पर इसकी जाँच झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद् द्वारा प्राधिकृत समिति अथवा उक्त जिले के उपायुक्त अथवा विभाग द्वारा गछित समिति के द्वारा की जा सकेगी।

सी.सी.टी.वी. का एक लिंक परिषद् को उपलब्ध कराया जायेगा ताकि आवश्यकतानुसार परिषद् द्वारा ऑनलाईन माध्यम से संस्थान का जीवंत अवलोकन (Live Observation) किया जा सकेगा।

(2) सभी संस्थानों की अपनी एक वेबसाईट होगी, जिसका लिंक परिषद् को उपलब्ध कराया जायेगा।

वेबसाईट पर संस्थान की आधारभूत संरचनाओं, भवन, छात्रावास, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शिक्षण संकाय की विवरणी, पाठ्यक्रम की विवरणी, नामांकन हेतु निर्धारित फीस, अस्पताल की संबद्धता, उक्त संस्थान के द्वारा

103 (10)
28/04/2023

किये गये विभिन्न क्रियाकलापों की विवरणी, फोटोग्राफ एवं विडियो इत्यादि सूचनाएं अनिवार्य रुप से दर्शायी जायेंगी।

(3) सभी संस्थानों के प्रशिक्षु छात्र-छात्राओं की बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है।

बायोमेट्रिक उपस्थिति का लिंक परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। परिषद् द्वारा आवश्यकतानुसार संस्थान के प्रशिक्षु छात्र-छात्राओं की उपस्थिति की जाँच की जायेगी।

(4) सभी संस्थानों के वर्तमान सत्र में नामांकन लेनेवाले एवं पूर्व में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं की विवरणी पाठ्यक्रमों के आधार पर वर्षवार तैयार करते हुए संस्थान की वेबसाईट पर दर्शायी जायेगी।

सभी प्रशिक्षु छात्र-छात्राओं के नामांकन संपन्न होने के एक माह के भीतर एवं उत्तीर्णता के पश्चात् अधिकतम एक माह के भीतर परिषद् को उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) सभी संस्थानों का झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद् के द्वारा इस प्रयोजन हेतु गठित समिति के माध्यम से वार्षिक निरीक्षण कराया जायेगा, जिस क्रम में उक्त संस्थान के द्वारा प्रदान की जा रही नर्सिंग प्रशिक्षण तकनीकों, क्रियाकलापों आदि की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश एवं परामर्श दिये जायेंगे।

(6) प्रत्येक संस्थान के द्वारा झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद् को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में अप्रैल-मई माह के दौरान विगत वित्तीय वर्ष का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा जिसमें उक्त संस्थान की आधारभूत संरचनाओं, शिक्षण संकाय, मानव संसाधन, भवन, छात्रावास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्र-छात्राओं की विवरणी तथा विभिन्न क्रियाकलापों के फोटोग्राफ, उपलब्धियाँ, उत्तीर्ण छात्रों के प्लेसमेंट इत्यादि सूचनाएं अंकित रहेंगी। प्रत्येक संस्थान के द्वारा अपने वार्षिक प्रतिवेदन को संस्थान के वेबसाईट पर आमजनों के सूचनार्थ प्रदर्शित किया जायेगा।

अध्याय-5: शास्तियाँ

9. किसी संस्थान के द्वारा इस नियमावली के अनुसार सीटों का वर्गीकरण, नामांकन एवं आरक्षण के नियमों का पालन नहीं करने की स्थिति में झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद् के द्वारा ऐसे संस्थान को इस आशय की कारण पृच्छा करते हुए एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए संस्थान के निबंधन एवं मान्यता को भी समाप्त करने का निर्णय लिया जा सकेगा।

103 (10)
28/04/2023

10. इस नियमावली के अध्याय-4 अंतर्गत वर्णित नियमों का पालन नहीं करने की स्थिति में संबंधित संस्थानों के विरुद्ध निम्नांकित तालिका के अनुसार नियमानुसार दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगाः

क्रमांक	नियमावली के नियम	निर्धारित दण्ड
1.	8 (1)	प्रथम बार उल्लंघन की स्थिति में- रु 25,000/- तक दूसरी बार उल्लंघन की स्थिति में- रु 50,000/- तक तीसरी बार उल्लंघन की स्थिति में- रु 1,00,000/- तक
2.	8 (2)	प्रथम बार उल्लंघन की स्थिति में- रु 25,000/- तक दूसरी बार उल्लंघन की स्थिति में- रु 50,000/- तक तीसरी बार उल्लंघन की स्थिति में- रु 1,00,000/- तक
3.	8 (3)	प्रथम बार उल्लंघन की स्थिति में- रु 25,000/- तक दूसरी बार उल्लंघन की स्थिति में- रु 50,000/- तक तीसरी बार उल्लंघन की स्थिति में- रु 1,00,000/- तक
4.	8 (4)	प्रथम बार उल्लंघन की स्थिति में- रु 25,000/- तक दूसरी बार उल्लंघन की स्थिति में- रु 50,000/- तक तीसरी बार उल्लंघन की स्थिति में- रु 1,00,000/- तक
5.	8 (6)	प्रथम बार उल्लंघन की स्थिति में- रु 25,000/- तक दूसरी बार उल्लंघन की स्थिति में- रु 50,000/- तक तीसरी बार उल्लंघन की स्थिति में- रु 1,00,000/- तक

दो बार से ज्यादा उल्लंघन की स्थिति में संस्थान को निलंबित करते हुए निबंधन एवं मान्यता समाप्त करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

11. किसी संस्थान के विरुद्ध कार्रवाई करने के क्रम में निदेशक, नर्सिंग के द्वारा ऐसे संस्थान से विधिवत कारण पृच्छा करते हुए सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जायेगा, जिसके उपरान्त समुचित निर्णय लिया जायेगा।

12. निदेशक, नर्सिंग द्वारा अधिरोपित दण्ड एवं शास्ति अधिरोपित किये जाने के 30 दिनों के भीतर अधिरोपित दण्ड का 50 प्रतिशत राशि जमा करने के उपरान्त निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, झारखण्ड के समक्ष किसी संस्थान के द्वारा विधिवत अपील दायर की जा सकेगी।

दायर की गयी इस अपील का निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं के द्वारा अपील दायर करने की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर आवश्यक निर्णय लिया जायेगा।

13. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, झारखण्ड के द्वारा किसी अपील पर लिये गए निर्णय के विरुद्ध अधिरोपित दण्ड का 75 प्रतिशत राशि जमा करने के उपरान्त किसी संस्थान

103 (10)
28/04/2023

के द्वारा ऐसा निर्णय लिये जाने के 30 दिनों के भीतर विभागीय सचिव के समक्ष समीक्षा अभ्यावेदन समर्पित किया जायेगा, जिसे अभ्यावेदन दायर किये जाने की तिथि से अधिकतम 60 दिनों के भीतर निष्पादित किया जायेगा।

अध्याय-5: प्रकीर्ण

14. लोक निजी भागीदारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के नर्सिंग संस्थानों से संबंधित किसी विवाद में विभाग का निर्णय अंतिम होगा और वह सभी संस्थानों के लिए समान रुप से लागू होगा।

15. इन नियमों के अधीन संस्थानों के कुशल प्रबंधन एवं नर्सिंग क्षेत्र में गुणवत्ता प्रदान करने के उद्देश्य से नये पाठ्यक्रम संचालित करने एवं संस्थानों के मापदण्ड निर्धारित करने हेतु परिषद् राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव दे सकेगी।

16. शंकाओं का निराकरण-

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा इस नियमावली के किसी नियम अथवा प्रावधान में विसंगति/विरोधाभाष होने अथवा व्याख्या की आवश्यकता होने की स्थिति में विभाग के स्तर से आवश्यक निर्णय लेते हुए विसंगति/विरोधाभाष/व्याख्या को अधिसूचना के माध्यम से निस्तारित किया जा सकेगा।

17. निरसन एवं व्यवृति-

इस नियमावली के विषयों पर पूर्व से निर्गत अधिसूचना/संकल्प/आदेश इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से निरस्त समझे जायेंगे।

परन्तु यह कि, ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्व में निर्गत अधिसूचना/संकल्प/आदेश के अधीन किया गया कोई कार्य यी की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत थी जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या कोई कार्रवाई की गयी थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

27.4.23

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

103 (10)
28/04/2023

ज्ञापांक- 10/नर्सिंग-10-17/2021...103 (10)... दिनांक-28/04/2023

प्रतिलिपिः- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.4.23

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक- 10/नर्सिंग-10-17/2021...103 (10)... दिनांक-28/04/2023

प्रतिलिपिः- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं/सभी निदेशक/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक/सभी सिविल सर्जन/निबंधक-सह-सचिव, झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद्, राँची/परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, राँची/सभी प्राचार्या, सरकारी एवं गैर-सरकारी नर्सिंग संस्थान, झारखण्ड/सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.4.23

अपर मुख्य सचिव।